

(8)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

क्रमांक 36/762/2016/16 :- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, छ.ग.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, उपादान भुगतान अधिनियम 1972, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 एवं छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित निरीक्षक द्वारा विभागीय वेबपोर्टल में 48 घण्टे के भीतर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अब्बास खान)
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठां क्रमांक 37/762/2016/16

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
6. समस्त-उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी /कारखाना निरीक्षक/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
7. समस्त- उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इंद्रावती भवन के पीछे, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग